<u>न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय, सहानरपुर।</u>

CNR No.– UPSP040422542026

राज्य बनाम सुरेन्दर आदि

मुकदमा अपराध संख्या– 155/2026
धारा–308(6) व 61(2) बीएनएस
थाना–चिलकाना, जिला सहारनपुर

<u>19.05.2026</u>

प्रार्थी /अभियुक्तगण **सुरेन्दर, प्रिन्स व ईश्वर पाल** की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या– 155/2026, धारा–308(6) व 61(2) बीएनएस, थाना–चिलकाना, जिला सहारनपुर में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। रिपोर्ट में 11 दिन की देरी है। उल्लिखित अपराध जमानतीय है। कोई निष्पक्ष गवाह नहीं है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मामले में उल्लिखित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत के आधार पर्याप्त हैं।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/ अभियुक्तगण **सुरेन्दर, प्रिन्स व ईश्वर पाल** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु0 20 हजार रूपये का एक–एक व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के एक–एक प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

(अभिषेक चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय
सहारनपुर।
JO Code– UP3465